प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 09 जनवरी, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नैपाल पुत्र श्री तुलसीराम धोबी, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-33677/प्रोबेअनु0(2)-211/सला0समिति(एम-28.08.2019) दिनांक 19.11.2019 कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नैपाल पुत्र श्री तुलसीराम धोबी, जो- गढी नगला, मजरा सुल्तानगंज खरेटा, थाना-शमाशाबाद, जनपद-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। दिनांक 23.12.1998 को बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश के कारण अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमंचा से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-164/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश(कोर्ट सं0-2), फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 13.09.2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.05.2008 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.09.2019 तक 20 वर्ष 08 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष 02 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण वर्तमान में संतोषजनक है। बन्दी को जेल में 02 जेल दण्ड दिये गये जिसके क्रम में बन्दी का 03 दिन को परिहार जब्त किया गया। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी की पत्रावली मा0 उच्च न्यायालय प्रेषित की गयी है जो वापस प्राप्त नहीं हुई है। अत: पत्रावली के अभाव में उनके द्वारा कोई अभिमत नहीं दिया गया है। सलाहकार समिति की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमंचा से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। बन्दी शारीरिक रूप से सशक्त व स्वस्थ होने, बन्दी अपराधिक प्रवृत्ति का होने के कारण उसे आगे और कारागार में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी तथा विपक्षियों के मध्य विवाद पूर्णरूप से शान्त न होने, बन्दी की रिहाई से समाज में प्रतिकूल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रभाव पडने तथा मृतकगणों के सम्बन्धियों में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होने, बन्दी की रिहाई के उपरान्त उसकी जान-माल का खतरा होने, पुन: अपराध करने की सम्भावना होने का अंकन जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निहित 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी नैपाल पुत्र श्री तुलसीराम धोबी को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी नैपाल (बन्दी संख्या-14547) पुत्र श्री तुलसीराम धोबी निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-26/2020/2894(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-26/2020/2894/22-2-2019-17(459)/2017

दिनांक 09 जनवरी, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नैपाल पुत्र श्री तुलसीराम धोबी, जो- गढी नगला, मजरा सुल्तानगंज खरेटा, थाना-शमाशाबाद, जनपद-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। दिनांक 23.12.1998 को बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश के कारण अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमंचा से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-164/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश(कोर्ट सं0-2), फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 13.09.2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.05.2008 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.09.2019 तक 20 वर्ष 08 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष 02 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण वर्तमान में संतोषजनक है। बन्दी को जेल में 02 जेल दण्ड दिये गये जिसके क्रम में बन्दी का 03 दिन को परिहार जब्त किया गया। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी की पत्रावली मा0 उच्च न्यायालय प्रेषित की गयी है जो वापस प्राप्त नहीं हुई है। अत: पत्रावली के अभाव में उनके द्वारा कोई अभिमत नहीं दिया गया है। सलाहकार समिति की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमंचा से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। बन्दी शारीरिक रूप से सशक्त व स्वस्थ होने, बन्दी अपराधिक प्रवृत्ति का होने के कारण उसे आगे और कारागार में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी तथा विपक्षियों के मध्य विवाद पूर्णरूप से शान्त न होने, बन्दी की रिहाई से समाज में प्रतिकूल प्रभाव पडने तथा मृतकगणों के सम्बन्धियों में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होने, बन्दी की रिहाई के उपरान्त उसकी जान-माल का खतरा होने, पुन: अपराध करने की सम्भावना होने का अंकन जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निहित 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी नैपाल पुत्र श्री तुलसीराम धोबी को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in